

ont>

Title: Regarding abduction of a state official in Bihar.

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र के प्राक्कलन पदाधिकारी, श्री रोहित कुमार झा, जो सहरसा में पोस्टेड थे, उनका 3 दिसम्बर 2002 को अपहरण कर लिया गया है। इस बारे में सहरसा थाने में केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चला है। इस बारे में 8 मार्च के टाइम्स आफ इंडिया अखबार में बिहार के डीजीपी ने यह आशंका व्यक्त की है कि श्री रोहित कुमार झा को अपहरणकर्ताओं ने नेपाल में रखा है। इसकी चर्चा विधान सभा सदस्यों ने विधान सभा में की और काफी जद्दोजहद के बाद अंत में बिहार सरकार ने यह अनुशंसा की कि इस केस को सीबीआई को जांच करने के लिए दिया जाए, क्योंकि बिहार पुलिस इस मामले को सुलझा नहीं पा रही है।

मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि सीबीआई को अविलम्ब निर्देशित किया जाए, ताकि बिहार सरकार ने जो अनुशंसा की है, उस केस को जल्दी टेकअप किया जा सके और उन्हें खोज कर लाया जाए। **â€¦** (व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : महोदय, केन्द्र सरकार इस केस को टेकअप करे, जिसकी राज्य सरकार ने अनुशंसा की है। **â€¦** (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्रीजी ने नोट कर लिया है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदन के कुछ नियम हैं। केवल श्रीमती जयाबेन ठक्कर जी की बात रिकार्ड में जाएगी, जिनको मैंने इजाजत दी है।